friday, the 27th November, 1992/6 Agrahayatia, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर रोक

⁸61. श्री **आंति** त्यागी : [†] श्री **एच. हन्**मनतप्पाः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का सार्वजीनक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का विचार हैं;
 - (स) यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में कोई पुनर्वास योजना वनाई गई है?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI K. KAMALA KUMARI): (a) and (b) No, Sir. However, a Bill was drafted in 1989 for prevention of begging.

(c) The Government is examining various aspects of the rehabilitation of beggars.

श्री श्रांति त्यामी : माननीय सभापित जी, किसी भी देश में ये लज्जा की बात है कि वहां कुछ लोग भीख मांगते फिर्ट । हमारे देश में भिखारियों की बड़ी संख्या उन लोगों की हैं जो गरीबी की रखा के नीचे हैं। ये गरीबी और बेरोजगारी जब तक है, भीख मांगना पूरे तौर पर खत्म नहीं होगा । खुशी की बात हैं कि केन्द्रीय सरकार गरीबी हटाने और भीख कुछ कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है. जो खुशी की बात हैं।

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बहुत कम्जोर है, पुबर है, विलयर वहीं है। नये बताया आपने कि 1989 का

1---405 RSS/93

जा बिल था भीख पर प्रतिबंध लगान का, वह एंडिंग में क्यों डाल रहा है। न आपने ये बताया कि भिश्वारियों के पुनर्वास की जो बाजनाएं हैं उनका विवरण क्या है बिल्कुल एक-डंढ़ लाइन में जवाब खत्म कर विया। बहुत कन्पयुजिंग हैं, बहुत पुजर हैं।

में मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केंद्र सर्वो कराया है, कोई गणना कराई है जिससे यह मालूम हो कि देश में भिखारियों की कुल तावाद कितनी है और इसी के साथ, इससे जुड़ा हुजा है कि भिखा-रियों में बच्चे भी है, बूढ़ी औरतों भी है, विकलांग भी हैं और हट्ट-कट्ट नौजवान भी हैं, कई साधुओं के वेश में हैं। इनके रिहें बिलिट शन की अलग-अलग योजपाएं क्या होंगी, इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डाले। बिल्कुल बताया नहीं गया हैं। यह क्शा गया है कि एक्जामिन कर रहे हैं। यह मंत्री जी क्रया बताएं।

कस्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : भाननीय सभापति महादय, ये सच है कि भिखारियों की कोई गणना नहीं हुई है और एक बात और हम कहना चाहते हैं। ये सच है कि 1989 में इस संबंध में एक बिल बनाने की रिपोर्ट तैयार हुई है। जहां सक इन्होंने कहा कि भिक्षायृत्ति हटाने का बिल कब ला रहें हैं तो मैं स्पष्ट बता देना पाहता हुं कि ये जो बिल तैयार हुआ। था, अभी मैं में पूनः उसकी जांच करना इसलिए सुरू किया है क्योंकि ये चारों और चर्चा का विषय हैं और यह भी सत्य हैं कि भिक्षावृत्ति हटाने के पूर्व में हमें भिसारियों की रिलीफ और उनका मुआवजा और उनको किस तरह से हम रखें, क्योंकि भिक्षावृत्ति के कई कारण है, उन सारी बातों को रेप्टिंगत रखते हुए मैंने बिल को प्रः अपने विचार के लिए, थोड़ी उसकी छानबीन करने के लिए रोक रखा 중 :

श्री स्नांति स्वागी: सभापति दो, एक प्रका और करूंगा कि क्या सरकार वैभिंगा कम करने, गंकरे और उन भिसारी भाइयों को जिंदगी को सही राह पर लाने के लिए जो वालेटिटरी आर्यनाह्येशेंस हैं, इनका सहयोग लेगी और क्या उन्हों आर्थिक महायता भी देगी?

भी सीताराम केसरी : सभापति महादेय, में साफ इस सदन में आक्वासन दोना चाहता हूं और देता हूं कि नान-मवर्नमेंटल वार्यनाइजेशंस अगर इस दिशा में भिलारियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए सामने आएंगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यह सच है कि भिक्षावृत्ति में कई क्लासि-फिक्सेन हो सकते हैं। एक तो धार्मिक मान्यताओं के कारण भी भिक्षावृत्ति हैं। एक अधिक अभाव के कारण भी भिक्षावृत्ति है और कुछ एसे लोग जो किमिसल टाइप के लोग होते हैं वे गैंग बनाकर स्ट्रीट के बच्चों सं, बंसहारा बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं। एक पेशा हो गया है। इसलिए इन तीनों पहल्लों पर विचार करना है तो यह सच है कि किसी भी सभ्य देश, सभ्य समाज, सभ्य राज्य के लिए भिक्षावृत्ति एक स्टिगमा है मगर हमार' देश में जैसा खद हमार' माननीय सदस्य ने कहा है आर्थिक अभाव के कारण भी भिक्षावृत्ति हैं और शारीरिक विकलांगता के कारण भी है, इस सारी दृष्टि को ध्यान में रखसे हुए इस बिल को मैं ने पनः विचार करने के लिए सोच रखा है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Chairman, Sir, article 39 of the Constitution provides that 'the State shall, in particular, direct its policy towards securing that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that . citizens are not forced by economic necessity to enter into avocations tinsuited to their age or strength.'

The hon. Minister has also recognised the causes of beggary. It can be econo mic. It can be social. It can be religious. The situation is very alarming, particu larly, when we see organised gangs ex ploiting young children for their purposes and forcing them into begging. The pro blem has assumed serious proportions. Of course, already, in 15 States and 2 Union Territories, they have legislation and they are also undertaking beggary relief programmes. But in the whole cou ntry, the number of people rehabilitated is just 14,000, when the number of beggars in the country is a staggering 15 lakhs odd. The rehabilitation arrangements are meagre.

Sir, the Bill was actually prepared in 1989. The Minister has said—rightly so —that it requires reconsideration. Resources also have to be mobilised. In view of the alarming situation, in view of the meagre arrangements for rehabilitation, 'by what time is. the Minister coming forward with a comprehensive Bill, in order Ito remove this stigma-the hon. Minister himself has accepted that this is a stigma— on the society ? How soon is the Government coming up with this Bill?

क्षी सीताराम केसरी : सभापति जी, मन-नीय स्दस्य ने खुद ही कहा कि 15 स्टेटॉ में बैगरी अवैधानिक करार है, कानून बना हुआ है। यह सब्जेक्ट स्टोटों का है। यह प्रश्त हमारे सामने इसलिए उठ कर जाना है कि दिल्ली एक ब्रानियन टोरोटरी है और सेन्टर के अंतर्गत पड़ता है। हम परामर्श दे सकते हैं स्टोटों को । जो इन्होंने कहा कि बिल कब तक लाएंगे तो बिल की जब परीक्षा होने लगती है तो उसमें समय लगता है। कुछ सुभाव एसा भी हैं कि इस पर राष्ट्रीय इहरू होनी चाहिए । सभापति जी, जैसा मैंने **5हा कि कुछ भिक्षाटन धार्मिक सैक्शन भी** है। इन सारी चीजों को मददनजर रखते इ.ए इस तरह का बिल राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात है। यों यह स्टोट सब्जेक्ट है मगर जो स्टोट सेन्टर को अंतर्गत हैं वहां पर जो ह बिल चल रहा है जैसे कि दिल्ली में टाम्बे बेगरी एक्ट हैं, इस संबंध में जो समा-चार आया है कंसर्न का है। इन सारी जीओं को मददनेजर रखते हुए 1989 में यह [°]बल डाफ्ट हुआ। और अब उसकी परीक्षा इसलिए पुन: शुरू की कि कई इस्पेटिंट अग्हों से अच्छे-अच्छे राइटर्स, बृद्धिजीवियों ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है और मैं भो मानता रं भिक्षावित्त से मुक्त करने के लिए कई वर्गीकरण जैसा मैंने पहले बताया प्राधिक, धार्मिक और रैकेटियर्स जिससे लोग मोविलाइज करके बहातों को धोखा देते हैं, बच्चों को बुरी तरह रखते हैं। उनके लिए कानुन बनने की बात सोचते हैं। मगर इसके और भी अंग हैं। जब तक उनके पृन-ंक्षिकाप्रबंधन हो, यह साफ विश्वार है कि न्ब तक भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के बिल पर सोचना ही पड़ेगा (

अर्थ अव्यक्ति कोगी: सभापति जी, कोशिश सो पहले यह होनी चाहिए कि जो दोन बाहर जा कर भीस मांग रहा है हम लोग उसकी रोकों। फिर दोन के अंदर भिकावृत्ति की बात आती हैं 🔢

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, the point is, this proposal to ban begging itself is an absurd thing in our country. Begging is there because of the impoverished masses. So, until and unless we make some economic progress, it is useless to ban begging. If the people are hungry, if they do not get food, they will beg.

There is a law in our country prohibiting prostitution, yet some such thing is going on. Therefore, you cannot ban begging in our country.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: West Bengal has got the maximum beggars in our country.

SHRI SUKOMAL SEN: You should be happy.

भी अभीत कोगी: जब तक वहां ममता बनजी मुख्य मंत्री नहीं बनती है तब तक यह समस्याहल नहीं होनी।

MR. CHAIRMAN: The question is not of national begging, but individual begging.

SHRI SUKOMAL SEN: I do not know what is the relation between begging and Kumari Mamata Banerjee's becoming Chief Minister. Anyway, begging is the result of the poor economic policy being pursued by the Government. Is the Government going to change it so that our country makes progress economically? Also, when an Act is passed to ban begging, first of all it should be applied to the Union Finance Minister of the country who is going to various countries with a begging bowl.

MR. CHAIRMAN: I am afraid, the question does not relate to the main question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yon •top beggary in your own state and then you come to other areas. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: The question is not really relevant. Yes, Mr. Sehu.

SHRI SUKOMAL SEN: The second part of my question may not be relevant, but what about the first part?

भी रजनी रंजन साहा : सभापति जी. जहां यह प्रदन उन भिसारियों से संबंधित नहीं है फिन्हों रिलीजियस सैंक्शन मिली हुई है और स हरे...(व्यवधास) ।

MR. CHAIRMAN: This question does not arise.

SHRI SUKOMAL SEN: But the first part of my question is relevant. He must reply to that. (Interruptions).

की रजनी राजन साह्य: सभापति जी, जहां प्रश्न उन भिसारियों से संबंधित नहीं है जिनको रिलीजियस सॅक्सन मिली हुई है। जोगी जी ने बीच में जे प्रका उठाया वह देश के देंगिंग के संबंध से जुड़ा हुआ है। यहां य्हरोले देन्ट नहीं है । दौसे तो कहा जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहां प्रका यह है कि भिखारी वृत्ति की असामा-जिक तत्वं प्रोत्साहित करते हैं ऐसे तत्वों को रोकने से हैं। इसी दिल्ली शहर में ऐसे कितने बहुडे हैं जहां पर बसामाजिक तत्व पलिस की भदद से गरीब और असहाय बच्चों की गांवों से लाकर शिक्षावृत्ति करवा कर अपना भरण-पोषण करते हैं और भीस से अपना पैसा और महत्व बनाते हैं। क्या मंत्री महा-दय ऐसे अड़डों पर रोड करवाएं में और कम से कम दिल्ली शहर को भिक्षावृत्ति और भिना-रिशी से मक्स करवाएंगे ?

% सीताराम केसरी : सभापति जी, मान-ीय सदस्य ने यह सत्य कहा, इस त**रह भी** हैं, उँसामीने पहले कहा। **जहां तक रैड** लराहे हा प्रक्ने हैं, प्रा**देशिक सरकार और** र्शनयन टररोटरी में, मेरा स्थाल हैं कि जद कभी उन्हें एवर मिलती होगी, वे इस तरह की चीजें कानून के अंतर्गत करते होंगें। मगर जहां तक भिक्षावति और भिसारियों की शिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का प्रश्न है, इन सब को इंडिटगत रखते हुए 1989 का ओ डाफ्ट बिल है, उसकी, मैंने पुन: उसकी छान-बीन करने के लिए अभी स्थागत रसा है। उसके बाद मैं ने जैसा निवेदन किया यह एक राष्ट्रीय वहस की चीज हैं और यह बहुत दूर तक,

शामिक और आर्थिक मसलों से संबंध रखती है। यह मौने पहले भी कहाऔर फिर मैं इसे दाहरातः हाँ।

श्री रजती रंजन साहु: दिल्ली के संबंध में उत्तर रहीं मिला।

श्री सीताराम केसरी : मैं में दिल्ली के संबंध में कहा दि स्थानीय सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कार्यवाही करती होगी। अगर नहीं करती है हो उसे करना चाहिए।

श्री इक्ष दक्ष यादव : माननीय सभापति जी. भिक्षावित्त दोश में भिकारियों की संख्या बढ़ना, यह देश के लिए चिंताजनक कलंक की दात है। 45 वर्षी में सरकार ने इस समस्या का हल नहीं किया। सरकार में निष्क्रियता और इच्छा शक्सित की मालुस ६इती ह[ै]। सान्यवर, कैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीर्थस्थलों पर, जैसे प्रयाग है, काशी है, दूसरे तीर्थस्थल है, यहां भिरारियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। ये भिखारी वंकारी के कारण मजबूर-वश भिसारी तो ह ही लेकिन इन तीर्थस्थलों पर मान्यवर, अप-राध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अपना प्रकारीधे एक रहा हां।

MR. CHAIRMAN: Please conclude your question,

श्री ईश दर: बादव : मीं समाप्त कर रहा हां। यो अपके गाध्यम से सरकार से यह अनग चाहरा हूं कि सरकार कितने समय-इदध समय में इन भिकारियों के लिए शरण की व्यवस्था कर लेगी। और इन तीर्थस्थलों पर ने भिकारियों को संस्था बढ़ रही हैं, दबा इस पर सरकार विंगशण करेगी लाकि इनकी सएसा हल हो और अपराध का हाँ ?

श्री सीताराम कंसरी: सभापति जी, यह सत्य है कि धार्मिक स्थलों पर भिखारियों की संस्था अधिक हाती है और धार्मिक स्थलों पर जो बड़ो-बड़ो सेठ, साहाकार, राजे-महा-राजे पण्य कमाने के लिए जाते हैं वे भी दान

देना चाहतं हैं। तो सोचने की शास जरूर हैं िक दोनों को किस तरह से एक कर दिया जाए। उनके लिए कुछ भिसारियों के होम बना दिए जाएं यह भी सोचने की बात है। मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं कि हमार विभाग ने अभी योजना विभाग से निवंदन किया हैं और यह विचाराधीन ही, चाही सेंक्कन भी हो गया होगा, पहली बार हमने एक अली-क्षेत्रन मांगाहै। यह दो करोड़ रुपए का अगोकोरन पांच सालों में उन स्टोटों की जहां इस तरह के होस बसाए हुए हैं, भिस्तिरियों े रिए, व्हां पर उनको थोड़ी बहात सहायता कर सकते हैं। क्योंकि सरकार आज कार्थिक संकट से गुज**र र**ही है लेकिन फिर भी इसको शाधीमञ्जल मिलनी चाहिए । मैं चाहुंगा और योजना आयोग से निवेदन करूंगा कि हमें वह इस काम के लिए धन दाँ जिससे हम जनकी भवस कर सके ।

SHRI MURASOLI MARAN : Sir. prohibition of begging by legislation alone will not solve the problem. During the DMK regime in Tamil Nadu, we had created many Iravalar Warns—rehabilitation centres. So, what we have to do is, besides legislation we should create rehabilitation centres for the beggars so that we can teach them some skills with the result that they may not go in for begging. Will the hon, Minister come forward to create rehabilitation centres in all the States ? And the amount he wanted, that is, Rs. 2 crores, is a paltry sum. So, will he fight for more funds and will he also light for creating more rehabilitn-tion centres in all the States?

SHRI SITARAM KESRI: Sir, I would like to inform the hon. Member that in (he different States there are rehabilitation centres for beggars, and in almost 15 States they are there. There is one in Delhi also. Altogether 105 centres are running under the State Governments and the Union Territories. The accommodation is for 21,070, and already accommodated is 16,128. This is why I have requested the Planning Commission that we should be given allocation so that I can help them also to run the relief centres for beggars.